

‘प्रूप 12

[नियम 19 और 20 देखिए]

रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र

प्रेषिती.....

.....सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

रिटर्निंग आफिसर

महोदय,

विधान सभा

मैं.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से के लिए
होने वाले निर्वाचन में, अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

लोक सभा

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र..... में समाविष्ट..... विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामवली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित फते पर भेजा जाए-

.....
.....

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय

¹ अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा प्रूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।